

10 कर्मचारियों को प्राप्त सुविधाओं का मूल्यांकन Valuation of Perquisites

वर्ष 2003 से परिउपलब्धियों के मूल्यांकन की प्रचलित विधि में परिवर्तन किया गया है। अब मोटे तौर पर सुविधा उपलब्ध कराने में नियोक्ता को जो खर्च आएगा, वहीं राशि उस सुविधा की मूल्यांकन राशि होगी।

नियम तीन (एक) के अनुसार आवास सुविधा का मूल्यांकन

सुविधा	मूल्यांकन	रिमार्क
(1) मुफ्त आवास सुविधा (अ) असुसज्जित (Unfurnished) i शासकीय कर्मचारी (Central or State) ii अन्य कर्मचारी – यदि (a) आवास नियोक्ता का हो (b) आवास किराया का हो–	किराया (License fee) जो शासन द्वारा निर्धारित किया जाय। (i) वेतन का 15% बड़े शहरो के लिए (ii) वेतन का 10 % मझोले शहरो के लिए (iii) वेतन का 7.5% अन्य शहरो के लिए – वास्तविक किराया या, वेतन का 15% जो कम हो।	(1) आवास में शामिल है– घर, फ्लैट, फार्म हाऊस, चालितघर, जहाज, तैरता हुआ मोटर, कैरेवन। (2) बड़े शहर – जनगणना 2001 के अनुसार ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 25 लाख से अधिक हो तथा जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक व 25 लाख तक होगी, मझोले शहर कहलाएंगें। (3) फर्नीचर में शामिल है– टी.वी., रेफ्रिजरेटर, ए.सी., घरेलू उपयोगके अन्य उपकरण। (4) यहां पर वेतन में शामिल होंगे मूलवेतन+भत्ते+ बोनस+ कमीशन निम्न को छोड़कर (i) मंहगाईभत्ता– यदि सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में शामिल न हो। (ii) नियोक्ता का भविष्य निधि में दिया गया अंशदान (iii) कर मुक्त भत्ते व सुविधाओं का मूल्यांकन (5) रिमोट एरिया से अभिप्राय है– ऐसा स्थान, जो किसी शहर, जिसकी जनसंख्या 20,000 तक नवीनतम जनगणना के अनुसार) हो, से 40 किमी या अधिक दूरी पर स्थित है।
(ब) सुसज्जित (Furnished)–यदि i. नियोक्ता का फर्नीचर हो तो ii. किराये का फर्नीचर हो तो– (स) होटल के रूप में आवास	फर्नीचर की मूल कीमत का 10% +अ वास्तविक फर्नीचर किराया + अ वेतन का 24 % या होटल का किराया, जो कम हो।	
(2) रियायती दर पर आवास सुविधा	अ/ब/स (जो लागू हो)का मूल्यांकन (–) कर्मचारी द्वारा भुगतान किया गया किराया ।	
(3) यदि खनन क्षेत्र या आफसोर, तेल खनन या प्रोजेक्ट कार्य क्षेत्र, में कार्य करने वाले कर्मचारियों को रिमोट एरिया में या आफसोर क्षेत्र (Off Shore Site) में आवास उपलब्ध कराया जाता है तो–	मूल्यांकन कर मुक्त होगा	

नोट : यदि किसी कर्मचारी को स्थानांतरण होने पर दूसरे स्थान में भी मुफ्त /रियायती आवास की सुविधा दी जाती है, तो 90 दिन तक दोनो आवासों के मूल्यांकन में से जो कम हो, वह मूल्यांकन लिया जाएगा। परन्तु 90 दिनों के बाद दोनो आवासों के मूल्यांकन को जोड़ (Add) कर, आवास सुविधा का मूल्यांकन किया जाएगा।



मोटर कार की सुविधा का मूल्यांकन (नियम 3(2))

विवरण	केवल कार्यालयीन उपयोग	कार्यालयीन एवं निजी उपयोग	निजी उपयोग
यदि मोटर कार नियोक्ता की हो तथा उसका खर्च नियोक्ता वहन करता हो	इस सुविधा का मूल्यांकन शून्य होगा, यदि नियोक्ता द्वारा यात्रा की तारीख, गंतव्य स्थान, माइलेज और इस पर व्यय की गई राशि सहित कार्यालयीन यात्राओं का पूर्ण विवरण रखा हो।	(1) 1600 सीसी क्षमता तक के वाहन के लिए 1800 रु प्रतिमाह। (2) 1600 सी.सी. के उपर तक की क्षमता के लिए 2400 प्रतिमाह। (3) यदि ड्रायवर नियोक्ता का हो तो 900 प्रतिमाह अतिरिक्त।	नियोक्ता द्वारा वहन किया गया वास्तविक खर्च + कार की वास्तविक कीमत का 10 प्र.श. प्रतिवर्ष की दर से या वास्तविक किराया + ड्रायवर का वेतन
यदि मोटर कार नियोक्ता की हो, परन्तु संचालन का खर्च कर्मचारी उठा रहा हो,			कार की वास्तविक कीमत का 10 प्र.श. प्रतिवर्ष की दर से या वास्तविक किराया + ड्रायवर का वेतन
यदि मोटर कार कर्मचारी की हो, परन्तु संचालन का खर्च नियोक्ता उठा रहा हो,		नियोक्ता द्वारा वहन किया गया वास्तविक खर्च - 1600 सीसी क्षमता तक के वाहन के लिए 1800 रु प्रतिमाह व उससे अधिक क्षमता के लिए 2400 प्रतिमाह।	नियोक्ता द्वारा वहन किया गया वास्तविक खर्च।

माली, चौकीदार, स्वीपर या निजी सहायक नियम 3(3) के अनुसार : इस सुविधा के संदर्भ में नियोजक द्वारा वहन की गई शुद्ध लागत राशि (Net Cost), मूल्यांकन राशि होगी।

रियायती ब्याज दर पर ऋण (Interest free Loan) :

नियम 3(7) (i) के अनुसार :- यदि कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों को, 20 हजार से अधिक की राशि का ऋण, मुफ्त/रियायती ब्याज दर पर नियोजक द्वारा दिया जाता है, तो इस सुविधा का मूल्यांकन निम्नानुसार होगा -
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय वर्ष के पहले दिन इन उद्देश्यों हेतु दिए जाने वाले ऋण के लिए, निर्धारित ब्याज दर पर, देय साधारण ब्याज की राशि - कर्मचारी द्वारा इस मद भुगतान की गई राशि

- नोट :
1. अधिकतम मासिक आय से अभिप्रायः हर माह के अंतिम दिन कुल बकाया राशि से है।
 2. गंभीर बीमारी (नियम 3A में अधिसूचित) के इलाज के लिए गए ऋण का मूल्यांकन, निरंक होगा।

नियोक्ता की कम्प्यूटर या अन्य चल संपत्ति के उपयोग की सुविधा :

नियम 3(7)(viii) के अनुसार -

1. नियोक्ता द्वारा दिये गये लैपटॉप या कम्प्यूटर को परिउपलब्धि नहीं माना गया है।
2. यदि नियोजक, कर्मचारी को अन्य चलसंपत्ति (Movable Assets) के उपयोग (Use) की सुविधा देता है, तो ऐसी सुविधा का मूल्यांकन चल संपत्ति के लागत के 10% या किराये की राशि के बराबर होगा।

चल संपत्ति के रियायती दर पर बिक्री (हस्तांतरण-Transfer) की सुविधा :-नियम 3(7)(viii) के अनुसार : यदि नियोजक, कर्मचारी को अन्य चल संपत्ति मुफ्त/रियायती दर पर बिक्री (हस्तांतरित-Transfer) करता है, तो इसका मूल्यांकन = लागत - ह्रास - कर्मचारी द्वारा भुगतान राशि, यदि कोई हो तो कम कर यहां ह्रास प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये - मोटर कार के लिये 20%, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए 50%, अन्य सामान के लिए 10% दर से, लिया जाना चाहिए।

मुफ्त भोजन (नियम 3(7)(iii)) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराये गए मुफ्त भोजन (अर्थात् खाना और बिना अल्कोहल वाले पेय) का मूल्य होगा।

उपहार या उपहार वाउचर/कूपन (नियम 3(7)(iv)) किसी संस्कार अवसर पर या अन्यथा, नियोक्ता से प्राप्त कोई उपहार, या वाउचर या टोकन जिसके बदले ऐसा उपहार कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता हो, उसका मूल्य उस उपहार के मूल्य के बराबर होगा।



24 | उचित इन्कमटैक्स की गणना कैसे करें ?

परन्तु यदि एक गत वर्ष के दौरान ऐसे सभी उपहार या वाउचर का समेकित मूल्य 5,000 रु. से कम हो, तो अनुलाभ का मूल्य शून्य माना जाएगा। अतः यदि उपहारों का कुल मूल्य 5,000 रु. या उससे अधिक हो तो पूरी राशि कर योग्य होगी।

क्रेडिट कार्ड सुविधा (नियम 3(7)(v)) यदि नियोक्ता एक क्रेडिट कार्ड (या add-on कार्ड) कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य को उपलब्ध कराता है, तो अनुलाभ का मूल्य होगा :-

नियोक्ता द्वारा भुगतान या प्रतिपूर्ति किये गए – कर्मचारी द्वारा भुगतान की गई राशि
सदस्यता शुल्क और वार्षिक शुल्क सहित ऐसे यदि कोई हो
क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध किए गए खर्च की राशि

यदि खर्च पूर्णतः और अनन्य रूप से कार्यालयों उद्देश्यों के लिए किए गए हो तो अनुलाभ मूल्य शून्य माना जाएगा, बशर्ते –

- I. नियोक्ता खर्च को तारीख और प्रकृति सहित ऐसे खर्च का पूरा विवरण रखता है,
- ii. नियोक्ता पृथक रूप से एक प्रमाणपत्र जारी करता है कि खर्चों पूर्णतः और अनन्य रूप से कार्यालयों उद्देश्यों के लिए किया गया था।

मुफ्त मनोरंजन/क्लब सुविधा (नियम 3(7)(vi)) यदि कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य द्वारा क्लब में किए गए खर्च (वार्षिक या आवधिक फीस सहित परन्तु Corporate सदस्यता लेने के लिए भुगतान किए गए प्राथमिक शुल्क को छोड़कर) का भुगतान या प्रतिपूर्ति नियोक्त द्वारा की गई हो, तो अनुलाभ का मूल्य होगा।

नियोक्ता द्वारा वहन या प्रतिपूर्ति किए गए – कर्मचारी द्वारा भुगतान की गई राशि
खर्च की राशि यदि कोई हो

यदि ऐसे खर्च पूर्णतः और अनन्य रूप से कार्यालयों उद्देश्यों के लिए किए हो, तो अनुलाभ का मूल्य शून्य माना जाएगा, बशर्ते :

- I. नियोक्ता खर्च की तारीख, प्रकृति और व्यापारिक उपयुक्तता सहित ऐसे खर्चों का पूरा विवरण रखता हो।
- ii. नियोक्ता पृथक रूप से एक प्रमाणपत्र जारी करता है कि खर्चा पूर्णतः और अनन्य रूप से कार्यालयों उद्देश्यों के लिए किया गया था।

नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को रियायती/मुफ्त शेयर का आवंटन ESOP/Sweat Equity Shares

किसी करदाता को आवंटित ESOP/Sweat Equity Shares का मूल्य होगा,
करदाता द्वारा विकल्प का प्रयोग करने – शेयरों के संबंध में करदाता द्वारा भुगतान की गई
की तिथि को शेयरों का उचित बाजार मूल्य या उससे वसूल की गई राशि
शेयर का उचित बाजार मूल्य निम्न तरीके से तय किया जावेगा—

- (a) सूचीकृत शेयरों के मामले में – विकल्प चुनने की तिथि को opening price और closing price का औसत।

नोट – (1) यदि विकल्प चुनने की तिथि को शेयर Trade नहीं होता तो इससे तुरन्त पहले सबसे नजदीकी तिथि को उसकी closing price उचित बाजार मूल्य होगी।

- (2) यदि शेयर एक से अधिक exchange पर listed हो, तो जिस exchange पर उस शेयर Trade का सबसे अधिक Trade volume हो, उसकी price को ध्यान में रखा जाएगा। ध्यान में रखा जाएगा।

- (b) गैर-सूचीकृत शेयरों/इक्विटी शेयरों के – विकल्प चुनने की तिथि को या उससे पहले के 150 अतिरिक्त कोई प्रतिभूति के मामले में दिनों में कोई तिथि को, (i) द्वारा निर्धारित मूल्य (नियम 3(8) और (9))

नोट:(1) उपरोक्तानुसार सुविधाओं के मूल्यांकन की राशि में से, कर्मचारी द्वारा उस सुविधा को प्राप्त करने के विरुद्ध अदा की गई राशि को घटाने के बाद शेष राशि ही उस सुविधा की शुद्ध कर योग्य मूल्यांकन राशि होगी।



केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य सुविधाएं *

विशिष्ट कर्मचारियों से आशय – केवल उन कर्मचारियों है, जो या तो निदेशक है, या जो नियोक्ता कंपनी में बहुत अधिक मात्रा हितबद्ध है या जिनका नगद करयोग्य वेतन (भत्तों के साथ) 50,000 रु. से अधिक है। ऐसे विशिष्ट कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं कर योग्य होगी:

चिकित्सा खर्च धारा 17 (2)(v) :

कर्मचारी को नगद दिया गया चिकित्सा भत्ता पूर्णतः करयोग्य होगा। किसी अस्पताल (नियोक्ता द्वारा चलाए जा रहे या सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल के अलावा) में कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के चिकित्सा उपचार पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति, यदि एक गत वर्ष में रु. 15000 से अधिक हो, करयोग्य अनुलाभ होगा।

पानी, बिजली, एवं गैस की सुविधा :-

नियम 3(4) के अनुसार – यदि कर्मचारियों का उनके परिवार के सदस्यों को घरेलू उपयोग हेतु पानी बिजली या गैस की सुविधा प्रदान की जाती है, तथा-

- यदि नियोजक स्वयं के संसाधनों (Resources) से ये सुविधायें उपलब्ध कराता है, तो नियोजक को इस पर लगने वाली शुद्ध उत्पादन मूल्य (Net Manufacturing Cost) पर इस सुविधा का मूल्यांकन होगा।
- यदि नियोक्ता ये सुविधाएं, बाहरी एजेंसी से खरीदकर उपलब्ध कराता है, तो नियोक्ता द्वारा वहन किया गया वास्तविक खर्च (Net Amount) पर इस सुविधा का मूल्यांकन होगा।

मुफ्त या रियायती शिक्षा सुविधा (Educational Facilities)

नियम 3(5) के अनुसार – मुफ्त या रियायती शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नियोक्ता द्वारा वहन किया गया, वास्तविक खर्च ही इस सुविधा का मूल्यांकन होगा, या यदि नियोक्ता स्वयं के शिक्षा संस्थान से या अन्य शिक्षा संस्थान के माध्यम से यह सुविधा कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्यों को उपलब्ध कराता है, तो इस सुविधा का मूल्यांकन ऐसे स्थानीय संस्थानों या आसपास के संस्थानों में, ऐसी शिक्षा पर खर्च के संदर्भ में सुनिश्चित किया जाएगा। यदि उपरोक्त खर्च की सीमा प्रति बच्चे 1,000 रु. प्रतिमाह तक आती है तो इस सुविधा का मूल्यांकन निरंक होगा।

करमुक्त परिउपलब्धियाँ

- नियोजक के स्वयं के अस्पताल में या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, सरकार से अनुमोदित चिकित्सालय में कर्मचारी तथा उसके परिवार के उपचार पर चिकित्सा व्यय, या व्यय की प्रतिभूति।
- धारा 80 के अनुमोदित मेडिकल बीमा योजना में कर्मचारी तथा उसके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम।
- कर्मचारी के घर पर टेलीफोन की सुविधा, कर्मचारी को घर से कार्यालय /फैक्टरी आदि आने जाने की सवारी की सुविधा।
- रेल्वे/एयर लाईन द्वारा अपने कर्मचारियों को निःशुल्क या रियायती दर पर टिकट उपलब्ध कराना।
- धारा 10(cc) के अनुसार – नियोक्ता चाहे तो गैर वित्तीय परिउपलब्धियों (Non Monetary Perquisites) पर देय आयकर का आंशिक या पूर्ण भुगतान कर्मचारी की तरफ से आयकर विभाग को कर सकता है तथा ऐसी स्थिति में नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए आयकर की राशि को कर्मचारी की आय में नहीं जोड़ा जाएगा।

नोट: नियम 26A(2) के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) की परिउपलब्धियों के मूल्यांकन के संदर्भ में सही एवं पूर्ण जानकारी एक प्रपत्र फार्म नं. 12 BA के माध्यम से देना आवश्यक है, यदि वेतन 15 लाख से अधिक हो अन्यथा यदि कर्मचारी का वेतन 2,00,000 रु. या उससे कम हो तो पुनरीक्षित फार्म नं. 16 के संबंधित कॉलम में परिउपलब्धियों के मूल्यांकन का विवरण दिया जाना आवश्यक है।

